

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

नेनूलाल बनाम ताहरीलदार पीपलू

किरम मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.

प्रकरण संख्या 89 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुप
23.05.25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी नोटिस प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 27.05.2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	
23 ⁰⁵ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप।</p> <p>पत्रावली वास्ते TDR रिपोर्ट दिनांक 13.06.25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
13 ⁰⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रार्थनी उपस्थित/पी.ओ. वास्ते राजकार्य में अस्त। अवकाश पर/रिजटिफिकेशन होने के कारण पत्रावली तल आदेशिका अनुसार दिनांक 13.06.25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
16 ⁰⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। उपपक्ष उपाधित TDR पीपलू से रिपोर्ट जाल हुई रिपोर्ट पर उपपक्ष ने बहल का रिक्वेस्ट किया बहल सुनी गई पत्रावली का अपलेफन किया प्रत्युत प्रपत्रावली किदा भाकत रिपोर्ट प्रपत्रावली लिखवाया गया जो शामिल हो। पत्रावली रिपोर्ट सुमा होकर इफ्तल दाखिल हो तब किदागुसार नम्बर से काम हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)